2020/172, 2020/173

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

1. **प्रकरण संख्या 20/2020 (राजसमन्द डिक्री)**

1. श्रीमती रामू देवी पत्नी वरदा जी, जाति बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. डालू पिता केरिंग जी बलाई (मृतक) के बजाय :–

1/1. मोहनलाल पिता डालू जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. श्रीमती सोसर देवी पुत्री डालू जी पत्नी चुना जी बलाई, निवासी घाटी, तहसील राजमसन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती मांगी पुत्री डालू जी पत्नी खुमा जी बलाई, निवासी घाटी, तहसील राजमसन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. श्रीमती शंकरी पुत्री डालू जी पत्नी कमलेश जी बलाई, निवासी आसोटिया, तहसील राजमसन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. भगवतीलाल पिता डालू जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

1/6. श्रीमती कनी बाई पत्नी डालू जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

2. मांगीलाल पिता गंगाराम जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
3. किशनलाल पिता गंगाराम जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
4. रतनलाल पिता वरदा जी बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
5. रोशनलाल पिता वरदा जी बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती कंकु पुत्री वरदा जी पत्नी पारस जी बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

2. **प्रकरण संख्या 21/2020 (राजसमन्द डिक्री)**

1. श्रीमती रामू देवी पत्नी वरदा जी, जाति बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. डालू पिता केरिंग जी बलाई (मृतक) के बजाय :–

1/1. मोहनलाल पिता डालू जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:14 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती सोसर देवी पुत्री डालू जी पत्नी चुना जी बलाई, निवासी घाटी, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती मांगी पुत्री डालू जी पत्नी खुमा जी बलाई, निवासी घाटी, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. श्रीमती शंकरी पुत्री डालू जी पत्नी कमलेश जी बलाई, निवासी आसोटिया, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. भगवतीलाल पिता डालू जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

1/6. श्रीमती कनी बाई पत्नी डालू जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

2. मांगीलाल पिता गंगाराम जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

3. किशनलाल पिता गंगाराम जी बलाई, निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

4. रतनलाल पिता वरदा जी बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

5. रोशनलाल पिता वरदा जी बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

6. श्रीमती कंकु पुत्री वरदा जी पत्नी पारस जी बलाई (सालवी), निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेसपोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राज.का..अधि.
1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द प्रा.डिकी दि॰ 18.05.17 अंतिम
डिकी दि॰ 31.05.2019 प्र.सं. 57/2011

----::----

उपस्थित (वक्त बहस) :- 1. श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री आर.एल. रावत अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/6

----::----

निर्णय दिनांक 20-02-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेसपोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुंवारिया में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त सामलाती खाता संख्या 245 की आराजी नंबर 805, 806, 487 से 493, 570, 580, 582 [illegible] रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हि[illegible] प्र[illegible] संख्या 1 से 3 का 5/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 [illegible] हिस्सा [illegible] है। । इसी प्रकार खाता संख्या 246 की आराजी नंबर 5[illegible] [illegible]सी स्थित है, जिसमें वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:14 IST
Reason: SelfAttested

1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा निहित है एवं पक्षकारान इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त की भूमि में अतिक्रमण करने पर उतारू हैं, इसलिए वादी अपनी आराजियात का पृथक से विभाजन कराना चाहता है। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर खाते अलग–अलग दर्ज किये जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प कुंवारिया में रखकर अपने निर्णय दिनांक 18–05–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की। तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31–05–2019 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–05–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 21/2020 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 31–05–2019 के विरूद्ध अपील संख्या 20/2020 इस न्यायालय में दिनांक 12–11–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/6 की ओर से वकील श्री आर. एल. रावत उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

उक्त दोनों ही अपीलों में विवादित आराजियात एवं पक्षकारान समान होने तथा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 57/2011 में पारित प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों ही अपीलों का एक ही निर्णय किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न की जावे।

वकील अपीलान्ट ने दोनों ही अपीलों के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि दिनांक 23–09–2020 को अपीलान्ट अपनी भूमि पर काम कर रही थी तब रेस्पोन्डेन्ट मोहनलाल मौके पर आया तथा कब्जा करने की धमकी दी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः दोनों अपीलें अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि दोनों अपीलें मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं देरी के लिए जो कारण बताया है वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:14 IST
Reason: SelfAttested

न तो उचित कारण प्रतीत नहीं होता है, जबकि देरी से प्रस्तुत अपील के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्रों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जहां तक संभव हो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर उक्त दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण के गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को बिना सूचना पत्र जारी किये राजस्व कैम्प में दिनांक 18–05–2017 को एकपक्षीय प्रारम्भिक डिकी जारी की है तथा मनमकसूद तरीके से बनायी गयी विभाजन योजना के आधार पर दिनांक 31–05–2019 को अंतिम डिकी जारी की है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं। उक्त प्रकरण में वरदा पिता गंगाराम को प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया है, जबकि वरदा जी पिछले 25 वर्षो से लापता होकर उनके जीवित होने की कोई जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत किसी व्यक्ति की यदि 7 वर्ष तक कोई सूचना नहीं होती है कि वह जीवित है अथवा मर गया है, तो उसकी सिविल मृत्यु मान ली जाती है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 वरदा जी के वारिस हैं। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की भी वाद दायरी से पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाहीं नहीं की जा सकती। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी नलिटी होकर अवैध व शून्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिकी एवं अंतिम डिकी निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रारम्भिक डिकी एवं अंतिम डिकी पक्षकारान की सहमति से पारित की गयी है इसलिए अब उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिकी [illegible] में खाते पृथक–पृथक किये जाकर लगान भी पृथक–[illegible] है [illegible] किसी भी पक्षकार को कम या अधिक भूमि नहीं दी गयी है। लोक अदालत में सहमति के आधार पर डिकी जारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:14 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

गयी है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2023 (2) CJ (Civ.)(Raj.) Page 885 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में खाता संख्या 245 में अंकित विवादित आराजी नंबर 805, 806, 487 से 493, 570, 580, 582 से 585, 587 से 593 कुल किता 22 रकबा 27 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वादी डालू का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मांगीलाल, वरदा व किशनलाल का 5/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 मु. देउ बाई का 1/12 हिस्सा अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 246 की आराजी नंबर 581 रकबा 4 बिस्वा 4 बिस्वांसी में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 5/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/24 हिस्सा तथा बसन्तीलाल, रोशनलाल का 1/2 हिस्सा अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर पक्षकारों के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही प्रारम्भिक डिकी जारी की गयी है। यदि अपीलान्ट उक्त आदेश से व्यथित थे तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी, जैसाकि विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2023 (2) CJ (Civ.)(Raj.) Page 885 के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिकी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। जहां तक अंतिम डिकी का प्रश्न है, अंतिम डिकी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी की गयी है, जिसमें पक्षकारों के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही उनके हिस्से में भूमियां रखी गयी है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 18–05–2017 एवं अंतिम डिकी दिनांक 31–05–2019 यथावत रखी जाती हैं। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:14 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती रामू देवी पत्नी वरदा बलाई (सालवी) निवासी कुंवारिया, तहसील कुंवारिया, जिला राजसमन्द बनाम डालू कि बजाय मोहनलाल पिता डालू बलाई, नि0 कुंवारिया, तह0 कुंवारिया, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं......21/2020.......व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी ....
..........राजसमन्द....... मुकाम...............मुवर्खे.........18...........माह.............07.............2017.......................

(मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर — सत्यमेव जयते)

दावा बाबत

यह अपील व तारीख..........20.........माह............02.......सन् 2024 रूबरू............पक्षकारान व हाजरी........श्री श्याम सुन्दर पालीवाल........मिनजानिब अपीलान्ट व...........श्री आर. एल. रावत ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18-05-2017 यथावत जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग..........X.........)..........रूपये .... X.........
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का........................ X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख...........20...........माह...........02.............2024 को जारी किया गया।

(हस्ताक्षर)
(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:14 IST
Reason: SelfAttested